ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

## अन्दर के पृष्ठों में...

सतत् जीविकोपार्जन योजना ने दिखाया राह
(पृष्ठ – 02)

सतत् जीविकोपार्जन योजना से मिला रोजगार
(पृष्ठ – 03)

सबाना खातून के जीवन में आई खुशियाली
(पृष्ठ – 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना

# एक नई राह

माह – जुलाई 2023 ।। अंक – 24

## शहरी क्षेत्र में सतत् जीविकोपार्जन योजना की शुरूआत

बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2018–19 में की गयी। योजना अन्तर्गत जीविकोपार्जन संवर्धन, क्षमता वर्द्धन एवं वित्तीय सहायता तथा अभिसरण आदि के माध्यम से अत्यंत निर्धन परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। जीविका द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन पूरे राज्य में किया जा रहा है। अबतक राज्य के तक़रीबन 1 लाख 62 हजार से अधिक अत्यंत निर्धन परिवारों को इस योजना से जोड़कर उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु कार्य किए जा रहे हैं। चयनित लाभार्थियों द्वारा विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधियाँ संचालित की जा रही है। जीविकोपार्जन गतिविधि के अंतर्गत पशुधन गतिविधियों से भी अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बना रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में योजना की सफलता को देखते हुये राज्य सरकार द्वारा शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों का जीविकोपार्जन संवर्धन, क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु राज्य योजना अंतर्गत चालू योजना सतत् जीविकोपार्जन योजना को जीविका के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों) मे क्रियान्वयन करने की स्वीकृति दिनांक 01.12.2022 को दी गई है। इस योजना के अंतर्गत जीविकोपार्जन सूक्ष्म योजना के आधार पर सामुदायिक संगठनों द्वारा लक्षित परिवारों को एकीकृत परिसंपत्ति के सृजन हेतु 1,00,000/– रूपए तक प्रति परिवार निवेश में सहयोग किया जाता है। लक्षित परिवारों को जीविकोपार्जन गतिविधियों के फलीभूत होने तक 1000/– रुपए प्रति माह (07 माह तक) जीविकोपार्जन अंतराल राशि दी जाएगी। आजीविका एवं आय की विभिन्न गतिविधियों हेतु लक्षित परिवारों को सूक्ष्म व्यवसाय, गव्य, बकरी एवं मुर्गी पालन, कृषि संबंधित गतिविधि एवं स्थानीय तौर पर उनकी अभिरुचि एवं क्षमता के अनुरूप जीविकोपार्जन गतिविधियों के विकास में सहयोग प्रदान किया जाएगा।

योजना का क्रियान्वयन जीविका के माध्यम से किया जा रहा है जिसमें मद्य–निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार का भी सहयोग मिल रहा है।

राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सिटी मिशन मैनेजर के साथ जीविका कर्मियों का उन्मुखीकरण सम्पन्न किया जा चुका है। साथ ही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सामुदायिक संगठनों के सदस्यों का प्रशिक्षण भी सम्पन्न किया जा चुका है। सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत सम्पूर्ण राज्य (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों) मे योग्य परिवारों को सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ाव हेतु जीविका संपोषित सामुदायिक संगठनों द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अवधि में सभी योग्य लाभार्थियों का समावेशन सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत कर लिया जाएगा।

# सतत् जीविकोपार्जन योजना ने दिखाया राह

खैरुन निशा सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी प्रखंड की रहने वाली है। खैरुन निशा 6 बच्चों के साथ अपने गाँव में रहती है। उनके पति मो. जाकिर अंसारी लगातार बीमार रहते हैं। पति के बीमारी के कारण आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पैसे के अभाव में वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में असमर्थ थी।

इस बीच वर्ष 2019 में खैरुन निशा के परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए सतत् जीविकोपार्जन योजना में चयन किया गया। सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत अत्यंत गरीब परिवार के रूप में चयनित होने के पश्चात् दीदी अपनी क्षमता एवं रूचि के अनुसार किराना दुकान खोलने के लिए तैयार हुई। योजना के तहत उन्हें किराना दुकान हेतु सामान खरीदारी कर परिसंपत्ति प्रदान किया गया। दीदी का किराना दुकान में किये गए परिश्रम एवं कार्य के प्रति रूचि का परिणाम यह है कि आज प्रतिदिन करीब 1100 से 1200 रूपये तक की बिक्री कर लेती है, जिससे दीदी महीने में 5000 से 6000 रूपये तक की आमदनी प्राप्त कर लेती है। वर्तमान समय में दीदी की परिसंपत्ति 40,000 रूपये से ज्यादा है। दीदी द्वारा व्यक्तिगत बैंक बचत खाता में 13200 रूपये बचत भी किया गया है। दीदी किराना दुकान से प्राप्त हो रही आमदनी के साथ–साथ अब बकरीपालन कर अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित कर रही है।

# आर्थिक स्वावलंबन

अनिता देवी जहानाबाद जिला के मखदूमपुर प्रखंड अंतर्गत पूर्वी सरेन गाँव की रहने वाली है। सतत् जीविकोपार्जन योजना की लाभार्थी अनिता देवी एक अत्यंत ग़रीब महिला है। इनके पति स्वर्गीय गुड्डू शर्मा की मृत्यु वर्ष 2017 में एक दुर्घटना में हो गई थी। दीदी दूसरों के खेत में मजदूरी कर अपने 3 बच्चों सहित पूरे परिवार का भरण–पोषण करती थी।

उनकी निर्धनता को देखते हुए उन्हें वर्ष 2020 में सतत् जीविकोपार्जन योजना का लाभ दिया गया। चयन के बाद योजना के तहत अनीता देवी को सिलाई दुकान के लिए 20,000/– रुपये की सम्पत्ति दिया गया। विशेष निवेश निधि के रूप में 10,000/– रुपया भी मिला। जिसका उपयोग उन्होंने दुकान की पूंजी बढ़ाने में किया। उन्होंने अपने दुकान में एक से बढ़ा कर दो सिलाई मशीन लगा लिया और सिलाई का प्रशिक्षण भी देना शुरु कर दिया। योजना द्वारा उन्हें प्रारंभ के महीने में सात माह तक एक हजार प्रति माह सहायता के रूप में प्रदान किया गया।

विगत 18 महीने में अनीता देवी की जिन्दगी काफी बदल गई है। पहले जहाँ वो दूसरों के घरों में काम कर अपने बच्चों का पेट भर रही थी तथा जीवन यापन करने के लिए कई बार समूह से ऋण लेना पड़ता था। वहीं अब वो लगभग 7000 रुपये की मासिक कमाई कपड़े की सिलाई का काम कर कमा लेती हैं। अनीता देवी अपनी दुकान के मुनाफ़े से अब किराना दुकान भी चला रही हैं। अनीता देवी का पूरा जीवन बदल गया है। वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पा रहीं हैं। अनीता देवी अल्ट्रा पुअर ग्रेजुएशन अप्रोच मॉडल की सफल उदाहरण हैं। दीदी की कुल संपत्ति बढ़कर 88,500 रुपये हो गई है। अब वो आत्मनिर्भर बन चुकीं हैं।

# सतत् जीविकोपार्जन योजना से मिला रोजगार

सीता देवी, बिहार राज्य के सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड के लक्ष्मीपुर खुटी पंचायत से हैं। सीता देवी का परिवार अत्यंत गरीब है। वह तीन बच्चों के साथ रहती है। उनके पति पक्षाघात से पीड़ित होने के कारण कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं है। परिणामस्वरूप, उसके पास जीविकोपार्जन का कोई स्थायी स्रोत नहीं था। वह दैनिक आधार पर दूसरे लोगों की जमीन पर काम करके गुजारा करने लगी। उसे प्रति दिन के काम के लिए 150 रुपये मजदूरी के रुप में मिलते थे। दूसरों की ज़मीन पर काम करने से होती आमदनी काफी नही थी और यह आमदनी नियमित भी नही थी। काम नहीं मिलने पर उनके परिवार को ढँग का भोजन भी नहीं मिल पाता था।

सतत् जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत के बाद उनके गांव में अत्यंत गरीब परिवारों के चयन के लिए जीविका द्वारा एक अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान उनके खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें ग्राम संगठन द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत एक लाभार्थी में चुना गया। एसजेवाई के तहत उन्होंने एक फल का दुकान खोला। दुकान में प्रतिदिन 800–900 रुपये के बीच बिक्री हो रही है। दुकान आमदनी से अब उनके पास एक गाय भी है। वह प्रति दिन 2 लीटर दूध बेचने के अलावे अपने घर में खाने–पीने में इस्तेमाल भी कर रही है। दुकान एवं दूध से होने वाले आय से वह अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल के साथ–साथ निजी ट्यूशन भी दिला रही है। सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत रोजगार के संचालन से सीता देवी के जीवन में सामाजिक और आर्थिक रूप से सकारात्मक बदलाव आया है।

# रोजगार में बढ़ते कदम

पुनम देवी अरवल जिला के अरवल सदर प्रखंड के परासी गाँव की रहने वाली है। पुनम देवी के परिवार में उनके पति के अलावे 2 बेटी और 1 बेटा है। पुनम देवी के पति पैर से दिव्यांग हैं। पुंजी के अभाव में पुनम देवी रोजगार करने में असमर्थ थी। दिव्यांग होने के कारण मजदूरी करने में भी परेशानी होती थी। पुनम देवी के पारिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही है। घर परिवार के खर्च चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस बीच वर्ष 2020 में माँ वैष्णों जीविका महिला ग्राम संगठन द्वारा पुनम देवी की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें सतत् जीविकोपार्जन योजना में लाभार्थी के रूप में चुना गया एवं उनकी इच्छा के अनुसार 20,000 रूपये की परिसम्पत्ति की खरीदारी कर उनके घर में हीं उनका किराना दुकान खुलवाया गया। योजना के तहत निरंतर पुनम देवी को किराना दुकान चलाने, बचत करने, ग्राहकों के मांग के अनुसार सामान रखने एवं बेचने इत्यादि की जानकारी दिया गया। फलस्वरूप उन्हें किराना दुकान से अच्छी आमदनी होने लगी है। योजना के अंतर्गत पारिवारिक जरूरतों के लिए प्रारंभ में हर महीने 1000 रुपए की सहायता लगातार 7 माह तक दी गई। किराना दुकान चलाने में उनके पति भी सहयोग करते हैं। किराना दुकान से प्रतिदिन 300 से 400 रूपये की आमदनी कर लेती हैं। पुनम दीदी घर–परिवार चलाने के बाद कुछ रूपये बचत भी कर ले रही है, और उसे अपने बैंक खाते में जमा कर रही है। बचत के 40,000 रूपये में एक भैंस खरीद कर उन्होंने पशुपालन का कार्य भी शुरू कर दिया है। भैंस का दूध को बेचकर वह 4000 से 5000 रूपये प्रति माह आमदमी कमा रहीं हैं। पुनम देवी कहती हैं रोजगार से आमदनी होने से अब मेरा परिवार का भरण–पोषण ठीक से हो रहा है।

# सबाना खातून के जीवन में आई खुशियाली

सबाना खातून मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत अरेर गाँव की रहने वाली है। वह कहती है कि आज मेरे जीवन में खुशियों में पंख लग चुके हैं। ऐसा मुझे जीविका परियोजना अंतर्गत सतत् जीविकोपार्जन योजना के मदत के कारण संभव हो पाया है। दीदी बताती हैं कि पहले मैं दो बच्चों संग किसी प्रकार से दुसरों के घरों में और खेतों में मजदूरी कर जीवन यापन कर रही थी। कभी दो वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं हो पाती थी क्योंकि मेरा शौहर शराबी था। हमेशा नशे में धुत रहा करता था और कोई रोजगार भी नहीं करता था और सिर्फ घर के सामानों को बेचकर नशा करना और लड़ाई झगड़ा करना ही रह गया था। एक दिन दीदी के पति बहुत ज्यादा शराब पीकर घर लौट रहें थे, तभी अचानक सड़क पर लड़खराने लगे और रास्ते में पुल से सीधे नदी में गिर गए। नदी में गिरने से उनकी मौत वहीं हो गयी। दीदी के लिए यह दिन काले बादल से कम नहीं था मगर दीदी कहती है कि मेरे शौहर के चले जाने का तकलीफ तो था ही मगर पहले से कष्ट कोई कम नहीं था। दीदी बहुत चिंतित रहने लगी, दीदी काम करती तो बच्चो संग भोजन कर पाती थी। अगर काम नहीं मिलता तो भोजन भी मोहताज रहा करती थी। दीदी सुसराल छोड़ अपने मैके वापस आ गयी और अपने अम्मी और अब्बु के घर में ही रहने लगी। कुछ दिनों के पश्चात उस घर से भी बेगाना होना पड़ा। दीदी किसी प्रकार अपने ही अम्मी और अब्बु के आँगन में ही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। दूसरों के घरों में पोछा–बर्तन कर किसी प्रकार अपने बच्चों का भरण–पोषण करने लगी।

अंधकार के बाद उजाला निश्चित ही आता है और दीदी के जीवन में सतत् जीविकोपार्जन योजना आशा की किरण के रूप में आयी और दीदी के जीवन में बहुत बदलाव हुआ। सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत सबीना खातून को अत्यंत निर्धन परिवार में चयन किया गया। ग्राम संगठन और एमआरपी के द्वारा दीदी के सभी परेशानियों के बारे में जानकारी ली गयी, तत्पश्चात दीदी ने फैसला लिया कि मैं अब स्वयं रोजगार करूँगी और आत्मनिर्भर बनूँगी। दीदी ने किराना की दुकान खोलने की इच्छा जताई। सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत दीदी को विशेष निवेश निधि की राशि 10,000 रुपये तथा जीविकोपार्जन निवोश निधि की राशि के तौर पर 20,000 रूपये की उत्पादक संपति के साथ–साथ, जीविकोपार्जन अंतराल सहायता निधि की राशि प्रतिमाह एक–एक हजार कर सात माह तक पारिवारिक खर्च हेतु ईश्वर–अल्लाह ग्राम–संगठन के माध्यम से दी गयी। जीविकोपार्जन निवोश निधि की राशि से किराना सामग्री खरीदकर सबाना खातून का दुकान का शुभारंभ किया गया। दीदी नियमित रुप से अपना किराना दुकान चलाने लगी । दीदी की आमदनी नित्य–प्रतिदिन बढ़ने लगी। दीदी व्यवसाय चलाकर आज आत्मनिर्भर हो गयी हैं। दीदी अब अपने परिवार का पालन–पोषण, बच्चों की पढाई–लिखाई ठीक से कर रही है। आज दीदी के पास कुल संपत्ति 76,162 रूपए हैं। वहीं बचत किए गए 10,000 रूपए बैंक में जमा है। आज के दिन उनकी मासिक आमदनी लगभग 6000 रुपये है।

**दीदी की भविष्य की आकांक्षायें....**

दीदी कहती हैं कि आज मैं काफी खुश हूँ। मैं पूंजी लगाकर दुकान को बड़ा कर आमदनी बढ़ाकर बच्चें को उच्च शिक्षा दिलाकर कुछ बनाना चाहती हँ तांकि मेरी तरह मेरे बच्चों को कष्ट ना हो।


जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी – कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री अजीत रंजन – राज्य परियोजना प्रबंधक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी – परियोजना प्रबंधक (संचार)
- श्री रतिस मोहन परियोजना प्रबंधक (सामाजिक सुरक्षा)

संकलन टीम
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, बेगूसराय
- श्री विकास राव – प्रबंधक संचार, भागलपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, सिवान
- श्री रौशन कुमार – प्रबंधक संचार, लखीसराय
- श्री बिप्लब सरकार – प्रबंधक संचार